



प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 09 सितम्बर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष, 2026-27 में जनपद महाराजगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोहगीबरवां के मुख्य भवन एवं आवासीय भवनों में विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर सिस्टम की स्थापना कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या 222/2026/आई0/1457467/2026-5-6099/2/2026-6, दिनांक 11.08.2026 एवं शासनादेश संख्या-आई0/1367446/2026-5-6099/2/2026-6, दिनांक 17.06.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 17.06.2026 द्वारा जनपद महाराजगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोहगीबरवां के मुख्य भवन एवं आवासीय भवनों में विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर सिस्टम की स्थापना कार्य हेतु "उत्तर प्रदेश राज्य किसान सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0)" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11.08.2026 द्वारा उल्लेख कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद महाराजगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोहगीबरवां के मुख्य भवन एवं आवासीय भवनों में विद्युत आपूर्ति हेतु सोलर सिस्टम की स्थापना कार्य हेतु धनराशि रुपये 92.49 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते धनराशि रुपये 92.49 लाख (रुपये बानवे लाख उनचास हजार मात्र) अनुमोदित किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।
 5. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।
 6. प्रायोजना का अनुमोदन आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुये लागत का अनुमोदन किया गया है, प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वािरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत में तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियन्ता/कार्यदायी संस्था की होगी।
 9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
 10. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
 11. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्वािरावृत्ति नहीं हो रही है।
 12. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकानुसार किया जायेगा।
 13. कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाये और यदि शासकीय धन पर कोई व्याज आर्जित किया गया हो तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
 14. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
 15. आगणन में वर्णित लेबर रैस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
3. इस संधि में होने वाला व्यय रुपये 92,49,000 (रुपये बानबे लाख उनचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 4210021030700** प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण **मानक मद-24-वृहत् निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी0-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, महाराजगंज।
4. निदेशक (प्रशासन/सी०एच०सी०/पी०एच०सी०/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
9. मुख्य चिकित्साधिकारी, महाराजगंज।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (यू०पी०आर०एन०एस०एस०), लखनऊ/महाराजगंज।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4 चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उ०प्र० शासन।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर मिश्र
संयुक्त सचिव।